FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु........ मुकाम........

........चैनाराम पुत्र रूपाराम........ बनाम ....रामाराम वगैरा........

किस्म मुकदमा........नामान्तकरण आवेदन........ नं. ....315.... सन् ....2019....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/9/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....कुम्भाराम चौधरी.... ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 128.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....21/10/19.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	366 25/9/19
21/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 13/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/11/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ... एकतरफा बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत ... आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के हदों ... (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:56:44 IST
Reason: SelfAttested

जो पुरानी मोड़ व काँटे आये हुए थे जो वर्तमान में आदमियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेतो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के बिच तनाजा बना रहता है। तथा बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेतो को जोड़कर उसमें काश्त कर लेते है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वायड को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या ~~अपने~~ सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये -500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली को, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 2019

नायब तहसीलदार

क्रमांक / वाद / 2019 /

प्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:56:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ दिनांकः—13/11/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चैनाराम पुत्र रामाराम के कायम मुकाम जाति जाट निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. रामाराम पुत्र अचलाराम वगैरा जाति जाट निवासी खवालिया नाडा, बोड़वा तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 315/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 293/212, 297/212 रकबा 30.00, 52.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः—13/11/2019

क्रमांक/वाद/2019/948

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री चैनाराम के कायम मुकाम
4. विप्रार्थीगण श्री रामाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

विवेक व्यास

सहायक कलेक्टर (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:56:44 IST
Reason: SelfAttested